अवर न्यायाधीश

सोनपुर, सारण।

हकियत वाद सं0– 1048 सन् 2013

दिनेश पाठक.....वादी

बनाम

मु0 बिन्दा कुंअर व अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 30.09.2020

प्रतिवादी की ओर से हाजिरी है। वादी अनुपस्थित है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक–23.12.2019 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का संशोधन आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी ने चुपके–चुपके साजिश के तहत अपने पतोहु पूनम देवी के नाम से दो किता नाजायज बैनामा 25.09.2013 व 27. 09.2013 को लिख दिया। जिसकी जानकारी पूर्व में वादी को नहीं थी और ना ही प्रतिवादी से अपने उत्तर पत्र के साथ नाजायज बैनामा की प्रतिलिपि दाखिल की थी। नाजायज बैनामा की जानकारी वादी को 08.08.2019 को तब हुई जब कथित दस्तावेज की मूल प्रति दाखिल हुआ। ऐसी परिस्थिति में वादपत्र के संशोधन आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन से वादपत्र के मूल भावना में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा और ना ही प्रतिवादी दुष्प्रभावित होंगे। अतः निवेदन है कि न्यायहित में वादपत्र के आवेदन में लिखित संशोधन की अनुमति दी जाए। ताकि वादी को न्याय मिल सके।

प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक–24.01.2020 को उपयुक्त संशोधन आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। जिसमें उनका कथन है कि वादी का संशोधन आवेदन

दिनांक–23.12.2019 विधि सम्मत नहीं होने के कारण पोषणिय एवं विचारणिय नहीं है। इस वाद में वाद बिन्दु का गठन एवं वादी का साक्ष्य पूर्ण हो चुका है। प्रतिवादी अपने वाद एवं दस्तावेज के समर्थन में कुल 5 साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर चुक हैं। वादी ने कुल 7 संशोधनों के साथ अपना आवेदन दाखिल किया है। जो स्वाभाविक रूप से मूल वाद की प्रकृति को बदल देती है और मूल वाद की प्रकृति बदलने से प्रतिवादी को अपूर्णिय क्षति होगी। अतः वादी के संशोधन आवेदन को खारिज कर दिया जाए।

उभय पक्षों की विद्वान अधिवक्ता को दिनांक–28.09.2020 को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में विचारण प्रारंभ हो चुका है और वादी की ओर से साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात् दिनांक–28.08.2016 को वादी का साक्ष्य बंद कर प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया गया है। इस वाद में प्रतिवादी की ओर से 4 साक्षियों का साक्ष्य कराया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन विधितः पोषणिय नहीं है। वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन से वादपत्र का स्वरूप प्रवर्तित हो रहा है। अतः वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक–23.12.2019 को खारिज किया जाता है।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक–12.10.2020 को प्रतिवादी के साक्ष्य हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।